183

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः एम.के. सिंह

सदस्य

पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 3423/एक/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 5.9.2016 पारित द्वारा राजस्व मण्डल ,म.प्र. ग्वालियर प्रकरण कमांक 1272/एक/2014 निगरानी ।

1–रघुवीर सिंह पुत्र भैरो सिंह ठाकर ,

2–पवन सिंह

3–जितेन्द्र सिंह पुत्रगण रघुवीर सिंह , ठाकुर निवासी

तहसील कराहल , श्योपुर म.प्र. ।

विरूद्ध

म.प्र. शासन

श्री सुनील सिंह जादौन अभिभाषक आवेदक

श्री बी.एन. त्यागी ,सूची अभिभाषक

आदेश

(आज दिनांक 18 /10/2016)

यह पुर्नविलोकन आवेदकगण द्वारा राजस्व मण्डल के प्रकरण कमाक 1272/एक/2014 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5.9.2016 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रकरण का सारंश यह कि तत्कालीन तहसीलदार तहसील कराहल द्वारा किये गये पट्टो की शिकायत आने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कराहल का जांच प्रतिवेदन दिनांक 17.6.2013 में उल्लेख किया कि तहसीलदार कराहल द्वारा प्रकरण कमाक 18/2000–2001 /अ–19 आदेश दिनांक 14.12.2001 से ग्रम कराहल की

भूमि सर्वे कमाक 333/मिन6/क/1 रकवा 1.881है0 का रघुवीर पुत्र भैरो सिंह ठाकुर के नाम सर्वे कमाक 333/मिन6/क/2 रकवा 1.881 है0 का पवन सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ठाकुर एवं सर्वे कमाक 333/मिन6/क/3 रकवा 1.881 है0 जितेन्द्र सिंह पुत्र रघुवीर सिंह ठाकुर के नाम समस्त निवासीगण ग्राम कराहल के नाम एक ही परिवार के पिता /पुत्रो/सदस्यों के नाम भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जो विधि विरूद्ध है । जिस व्यवस्थापन संबंधी आदेश का अमल तहसीलदार कराहल द्वारा प्रकरण क 711/12—13/बी—121 आदेश दिनांक 2.5.2013 द्वारा किया गया है जो विधि विरूद्ध है उक्त व्यवस्थापन एंव विधि विरूद्ध किये गये अमल संबंधी उक्त दोनो प्रकरणो को स्यमेव निगरानी में अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा लिया जाकर प्रकरण क 7/स्व0/निगरानी/2012—13 मे पारित आदेश दिनांक 29.3.14 के द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी क 1272/एक/2014 प्रस्तुत की गई जो निगरानी दिनांक 5.9.2016 से निरस्त की गई जिस आदेश को पुर्नविलोकन किये जाने हेतु यह आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

3— आवेदकगण द्वारा इस प्रकरण में मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि विवादित भूमि उनके स्वत्व स्वामित्व एव अधिपत्य की भूमि है जिस पर उनके पूर्वजो के समय से निरन्तर कव्जा कास्त करके चला आ रहा है जिस भूमि के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया जिस आवेदन पत्र से विधिवत एंव नियमानुसार प्रकरण क 18/2000—01/अ—19 दर्ज किया जाकर दिनांक 14.12.2001 से व्यवस्थापन आवेदकगण के पक्ष में किया गया । जिसके विरूद्ध कोई अपील अथवा पुनरीक्षण आज दिनांक तक किसी भी द्वारा नही किया गया वह आदेश अपने स्थान पर अंतिम हो गया । ऐसी स्थिति में शिकायत के आधार पर काफी लम्बे समय के वाद प्रकरण में कार्यवाही नही की जा सकती चूकि इस प्रकरण मे शिकायत के आधार पर कार्यवाही जाकर अपर कलेक्टर जिला श्योपुर द्वारा आवेदकगण के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.12.2001 को काफी लम्बे समय के अंतराल के वाद सोची समझी साजिस व रजिश वस होकर अपर कलेक्टर श्योपुर को शिकायत की गई जिस शिकायत पर से अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा वर्ष 2014 में जाकर

आवेदकगण के व्यवस्थापन आदेश एंव व्यवस्थापन अमल आदेश दिनांक 2.5.2013 को निरस्त करने मे वडी वैधानिक भूल की है जो अपर कलेक्टर का आदेश स्थर रखे जाने योग्य न होकर निरस्त योग्य है। एंव माननीय न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण में जो आदेश पारित किये है वह विधिवत नही होने से अपास्त किये जाने का निवेदन किया है।

4— अनावेदक के अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह वताया कि अधीनस्थ एवं इस माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया ह वह विधिवत एंव सही होने से स्थर रखे जाने का निवेदन किया गया ।

5—उभय पक्ष के अभिभाषको द्वारा किये गये तर्को एंव उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया दस्तावेजो के अवलोकन से स्पस्ट है कि अपर कलेक्टर श्योपुर द्वारा आवेदकगण को सुनवाई का अवसर दिये विना ही आलोच्य आदेश पारित कर व्यवस्थापन आदेश को निरस्त कर दिया गया है जो कि न्याय संगत नही है। माननीय उच्च न्यायालय के कई न्याय सिंद्धात है कि उक्त प्रकरण को स्व. निगरानी मे लेना है तो शीघ्र निश्चित समय सीमा 180 दिन के अन्दर लेना चाहिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा काफी लम्बे समय के अंतराल के वाद आवेदकगण के पक्ष में व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.12.2001 को लिया जाकर वर्ष 2014 मे निरस्त करने मे वैधानिक भूल की है जो न्याय संगत नही है। आवेदकगण द्वारा उक्त भूमि का व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.12.2001 से आज दिनांक तक काफी धन व श्रम करके उक्त भूमि को कृषि योग्य वनाया एंव उसमे नल कूप लगाकर भूमि को उपजाउ वनाया गया जिसमे काफी श्रम व धन खर्च हुआ आवेदकगण के पास उक्त भूमि के अलावा अन्य कोई भूमि नही है जीवन यापन हेतु एक यही भूमि है सभी आवेदकगण अलग अलग रहकर अपने— अपने परिवार का पालन पोषण इसी भूमि से कर रहा है जीवन यापन का एक मात्र साधन यही है आवेदकगण काफी गरीब व्यक्ति है जिनके पास जीवन का एक मात्र साधन यही है आज वर्तमान मे सभी आवेदकगण का परिवार काफी वडा हो गया है जीवन का एक मात्र साधन कृर्षि है अपर कलेक्टर द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 29.3.2014 से आवेदकगण के पक्ष मे व्यवस्थापन आदेश दिनांक 14.12.2001 एंव व्यवस्थापन अमल तहसीलदार

कराहल का प्रकरण क 711/12—13/बी—121 मे पारित आदेश दिनांक 2.5.2013 को दोनो को एक साथ ही कार्यवाही कर निरस्त करने मे वैधानिक भूल की है जिसमे आवेदकगण को सुनवाई का मोका व सूचना पत्र दिये वगैर सुने निरस्त किया गया है जो विधिवत नही है। इस वैधानिक तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय एंव इस न्यायालय द्वारा विचार नही किया गया है ऐसी स्थिति में पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नही है।

6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर पुर्नविलोकन स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा निगरानी 1272/एक/2014 में पारित आदेश दिनांक 5.9.2016 अपर कलेक्टर श्योपुर के प्रकरण क 07/स्व0/निगरानी/2012—13 मे पारित आदेश 29.3.2014 विधिवत एंव उचित नही होने से निरस्त किये जाते है तथा आवेदकगण के पक्ष में तहसीलदार कराहल के व्यवस्थापन प्रकरण क 18/2000—01/अ—19 मे पारित आदेश दिनांक 14.12.2001 एवं व्यवस्थापन अमल संबंधी तहसीलदार कराहल का प्रकरण क 711/12—13/बी—121 मे पारित आदेश दिनांक 2.5.2013 स्थिर रखा जाता है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल म.प्र.
ग्वालियर